Diary No. 104 Date 10/02/26 Computer Division (DUSIB) Govt. of NCT of Delhi

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(प्रशासन शाखा)

क्रमांकः GA/1076/27/प्रशासन/विविध/2020/डी-172 दिनांकः 10.02.2026

अग्रसारित

निम्नलिखित पत्रों की प्रति सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती हैः-

क्र. सं.	विभाग का नाम	परिपत्र सं. और दिनांक	विषय
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल, आई. पी. एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002	फा.स.08(06)/2019-20/क्. सं. एवं भाषा/3312-3361 दिनांक-22.01.2026	दिल्ली सरकार के सभी विभागो में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अनुरोध।

संलग्नः- ऊपरोक्त अनुसार

उप. निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारितः-

1. निजी सचिव(मुख्य कार्यकारी अधिकारी), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत।
2. निजी सचिव/सदस्य (प्रशा./इंजी./वित्त) सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत।
3. सभी अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता/समन्वयक।
4. सभी प्रधान निदेशक/निदेशक/उप निदेशक(दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड)।
5. बजट और निधि अधिकारी/उप मुख्य लेखा-I&II
6. सक्षम प्राधिकारी, तीस हजारी न्यायालय।
7. उप निदेशक (आईटी/सिस्टम) -दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड करें।
8. कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल।

ASO(IT)

11/2

11/2/26

Programmer

R-487/M(A)/26
29/01/26

6771C

Diary No. P-215
Date 29/01/26
O/o the C.E.O. (DUSIB)
G.N.C.T. of Delhi

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/3312-3361

दिनांकः 22/01/26

Dy. Dir. (Admn.), DUSIB
No. R-400
Date 02/02/26

Diary No. R-402
Dated 30/1/26
O/o Pr. Director (Admn.)
DUSIB, GNCTD

सेवा में,

1.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषयः दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अनुरोध।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस विभाग द्वारा जारी पत्रांक संख्या08(06)/2019–20/क0सं0एवं भाषा दिनांक 19.08.19 का तथा तदुपरान्त जारी अनुस्मारक दिनांक 04.04.2022, 27.03.23 13.10.2023, 30.10.2024 व 29.04.2025 का संदर्भ लें। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के विभागों तथा उनसे जुड़े उपक्रमों/निकायों/संस्थानों में राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियमावली, 1976 एवं दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2003 के नियमों तथा इनके अन्तर्गत जारी आदेशों/निदेशों के उपबंधों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में कार्य न किए जाने संबंधी गणमान्य व्यक्तियों/सामान्य व्यक्तियों/कर्मचारियों से बार–बार पत्र प्राप्त होते रहते हैं और यह विभाग उन पत्रों का संतोषजनक उत्तर देने की स्थिति में नहीं पाता है। इस सरकार की दिनांक 14.01.2004 की अधिसूचना सं0 7 (9)/97–भाषा के अनुसार हिन्दी को दिल्ली की राजभाषा पहले ही घोषित किया जा चुका है परन्तु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किसी भी विभाग में अपेक्षित प्रतिशत कार्य राजभाषा में नहीं हो रहा है, जो विभागों की हिन्दी के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

CEO
M(A)
Pr. Dir (A)

जबकि दिल्ली सरकार के अधिकतर अर्थात् 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी/अधिकारी हिन्दी में प्रवीण हैं और लगभग सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान भी रखते हैं । यह विभाग हिन्दी में प्रवीण अधिकारियों/कर्मचारियों से टिप्पण, प्रारूपण इत्यादि के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग करने की आशा करता है जबकि वर्तमान स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है । यहां तक कि हिन्दी में लिखे गए अथवा हस्ताक्षरित पत्रों तक का उत्तर भी जनसाधारण, गणमान्य व्यक्तियो, कर्मचारियों, स्वयं सेवी संगठनों/संस्थाओं आदि को अंग्रेजी में दिया जाता है। इस संबंध में राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 एवं नियम 7 (1) (2) एवं 7 (3) में स्पष्ट उल्लेख है जिसके उद्धरण अनुपालन हेतु निम्न प्रकार हैं :–

नियम 5 के अनुसार, नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिन्दी में पत्रादि के उत्तर हिन्दी में दिये जायेंगे।

आवेदन, अभ्यावेदन आदि :– 7. (1) कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिनका कर्मचारी पर तामिल किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

DD(Admn)
प्र. नि.(प्र)

676|C

अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के सभी उपबंधों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यथोचित निदेश देने का कष्ट करें। इस संबंध में आपको पूर्व में पत्र सं0फा0 08(06)/2019–20/क0सं0एवं भाषा/ दिनांक 27.03.2023, 13.10.2023 व 30.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है।

भवदीय

अजय सिंह 22.1.26

(अजय सिंह)
उप–सचिव (क0सं0 एवं भाषा)

दिनांकः 22/01/26

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 3362-3374

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खादय एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जयसिंह मार्ग, अशोका रोड़ , नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ।
8. उपायुक्त , यातायात पुलिस (मुख्यालय), देव प्रकाश शास्त्री मार्ग,, पूसा, नई दिल्ली ।
9. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु।

अजय सिंह

(अजय सिंह)
उप–सचिव (क0सं0 एवं भाषा)